निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1109) पटना, मंगलवार, 17 जून 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

10 जून 2025

सं० 11/न0वि0/विज्ञापन–01/2025–1696—विभागीय अधिसूचना संख्या 05/न०वि०/विविध–81/2018–5960 दिनांक 07.03.2024 द्वारा बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 को अधिसूचित किया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम को एतद द्वारा निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

(1) इस नियमावली को बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।

(2) यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

(3) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 5 में संशोधन।– बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 5 के उप नियम (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(i) सभी श्रेणियों हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क।–

(क) ''प्रत्येक व्यक्ति अथवा एजेंसी जो किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, आधार या संरचना पर या किसी भी वाहन पर कोई विज्ञापन स्थापित, प्रदर्शित, चिपकाता अथवा प्रतिधारित करता है अथवा सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार से कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है जिसे सार्वजनिक पथ अथवा सार्वजनिक स्थान से देखा जा सकता है (जैसे सिनेमाटोग्राफी के माध्यम से प्रदर्शित किसी भी विज्ञापन सहित) को केन्द्रीकृत व्यवस्था के अधीन नगर निकायों के पांच कलस्टर (समूह) में वर्गीकरण के आधार पर अनुज्ञप्ति शुल्क देना होगा।''

(ख) ''अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण शुल्क पर GST देय होगा।''

(ग) ''सभी प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल/ई–प्रोक (e-Proc) के माध्यम से की जाएगी।''

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 5 के उप नियम (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(ii) ''श्रेणी 1, 2 एवं 3 के विज्ञापन युक्तियों के लिए विज्ञापन शुल्क।– प्रत्येक व्यक्ति अथवा एजेंसी जो किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, आधार या संरचना पर या किसी भी वाहन पर कोई विज्ञापन स्थापित, प्रदर्शित, लगाता अथवा प्रतिधारित करता है अथवा सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार से कोई विज्ञापन करता है, जिसे सार्वजनिक–पथ अथवा सार्वजनिक स्थान से देखा जा सकता है (जैसे–सिनेमाटोग्राफी के माध्यम से प्रदर्शित किसी भी विज्ञापन सहित) ऐसे हर एक विज्ञापन के लिए विज्ञापन शुल्क देना होगा। विज्ञापन शुल्क ई–निविदा/ई माध्यम से बोली प्रक्रिया के आधार पर तय किया जायेगा (विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम/आधार दर का निर्धारण **अनुलग्नक–1** तथा श्रेणियों का उल्लेख **अनुसूची–1** में किया गया है)। विभाग समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से अनुलग्नक–1 में वर्णित विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम/आधार दर में परिवर्तन कर सकेगा।''

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 5 के उप नियम (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''श्रेणी के लिए विज्ञापन शुल्क (श्रेणी–4 में उल्लिखित उपकरण)।

स्वयं के ब्राडों के अलावा स्वयं–साइनेज के लिए विज्ञापन उपकरण /दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक, जो खड़ा करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक करता है या बनाए रखता है या भवन/सम्पत्ति का वह भाग, जहाँ व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपना व्यवसाय बंद कर रहा है, ऐसा कोई भी स्व–साइनेज विज्ञापन, या जो सार्वजनिक दृश्य के लिए या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान से दिखाई देने वाला कोई ऐसा स्व–चिन्ह विज्ञापन प्रदर्शित करता है, ऐसे प्रत्येक के लिए भुगतान करेगा। साइनेज डिस्प्ले जो खड़ा, प्रदर्शित या बरकरार रखा गया है या जनता को देखने के लिए एक विज्ञापन शुल्क है। विज्ञापन शुल्क प्रति वर्ग फीट के आधार पर तय किया जायेगा। स्व–साइनेज विज्ञापन शुल्क के दर का निर्धारण नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

हालाँकि ऐसे मामलों में, इस नियम में श्रेणी 4 उपकरणों के लिए निर्धारित समान्य शर्तों के अनुसार स्व–साइनेज को सख्ती से स्थापित/प्रदर्शित किया जाएगा।''

(4) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 6 में संशोधन ।–बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।–''

(क) ''ई–निविदा/ई माध्यम से बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले, विज्ञापनकर्त्ताओं को केन्द्रीकृत व्यवस्था के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।''

(ख) ''अनुज्ञप्ति शुल्क की वैद्यता तीन वर्ष की होगी।''

(ग) ''अनुज्ञप्ति शुल्क की समाप्ति की तिथि के उपरांत विज्ञापनकर्त्ता को प्रति वर्ष अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।''

(घ) ''अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण शुल्क **अनुलग्नक–1**(A) में उल्लेखित दर के अनुरूप लिया जायेगा।''

स्पष्टीकरण– विभाग समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से **अनुलग्नक–1**(A) में वर्णित अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण शुल्क में परिवर्तन कर सकेगा।

(5) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 7 में संशोधन।–बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया।–''

(i) अनुज्ञप्ति के पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि –

(क) ''अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाली इकाई, इसके किसी भी निदेशक, मालिक, प्रोपराइटर, पार्टनर को विज्ञापन व्यवसाय करने हेतु शपथ पत्र देना होगा कि किसी भी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत अथवा किसी भी अन्य सरकारी संस्था द्वारा वंचित न किया गया हो (इसे राजपत्र में इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा)।''

(ख) ''अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाली इकाई, इसके किसी भी निदेशक, मालिक, प्रोपराइटर, पार्टनर के ऊपर किसी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के द्वारा पूर्व में किसी भी प्रकार का बकाया ना हो (इसे राजपत्र में इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा)।''

(ग) ''अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाली इकाई के द्वारा विज्ञापन से संबंधित शुल्क का भुगतान लंबित ना हो (इसे राजपत्र में इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा)''

(घ) ''यदि किसी विज्ञापनकर्त्ता द्वारा इस (संशोधित) नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी नगर निकाय के अधीन विज्ञापन प्रकाशन हेतु आदेश लिया गया हो अथवा एकरारनामा किया गया हो, तो वह आदेश/एकरारनामा दिनांक 31.12.2025 तक वैद्य होगा। जिसके पश्चात विज्ञापनकर्त्ता को इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आनिवार्य होगा।''

(ii) ''नियम 7 (i) में वर्णित बिन्दुओं को संज्ञान में रखने के बाद विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाली इकाई को एक यूनिक आई डी निर्गत किया जायेगा।''

(iii) ''अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर पूर्ण कर लेनी होगी। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 30 दिनों का समय दिया जायेगा।''

(iv) ''आवेदन के साथ ही अनुज्ञप्ति शुल्क ऑनलाईन माध्यम से देना होगा।''

(v) ''अनुज्ञप्ति शुल्क की वैद्यता की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर विज्ञापनकर्त्ता को नवीकरण कराना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में नवीकरण नहीं कराने पर अगले 30 दिनों तक सौ रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माने के साथ विभाग द्वारा नवीकरण किया जायेगा। इसके उपरांत विभाग अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।''

(vi)(क) ''वैसे निजी भूमि/भवन को विज्ञापन के लिए अनुज्ञा (Permission) दिया जायेगा, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार नगरपालिका भवन उप विधि (Building Bye Laws) के प्रावधान के आलोक में निजी भूमि/ भवन पर होल्डिंग कर का नियमित रूप से भुगतान करता हो।''

स्पष्टीकरण– स्ट्रक्चरल फिटनेस (Structural Fitness) एवं अन्य शर्तो के संदर्भ में समय–समय पर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) ''विभाग द्वारा निजी भूमि/भवन पर विज्ञापन के लिए अनुज्ञा शुल्क (Permission Fee) के न्यूनतम/आधार दर का निर्धारण किया जायेगा। सड़कों के वर्गीकरण के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्रति वर्ग फुट की दर से अनुज्ञा शुल्क (Permission Fee) की गणना की जायेगी।

परन्तु यह अनुज्ञा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क से न्यून नहीं होगा (निजी भूमि/भवन पर अनुज्ञा शुल्क के न्यूनतम/आधार दर का निर्धारण **अनुलग्नक–1**(B) में किया गया है)। विभाग समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से **अनुलग्नक–1**(B) में वर्णित निजी भूमि/भवन पर अनुज्ञा शुल्क के न्यूनतम/आधार दर में परिवर्तन कर सकेगा।''

स्पष्टीकरणः– विज्ञापनकर्त्ता को निजी भूमि/भवन पर पूर्व से लगे हुए विज्ञापन के लिए अनुज्ञा शुल्क इस नियमावली के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के बाद देना होगा।

(vii) ''विज्ञापन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय) एवं प्रत्येक नगर निकाय में एक पृथक कोषांग गठित होगा।''

(6) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 9 में संशोधन।–बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 9 के उप नियम (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(ख) ''इस नियमावली की अनुसूची–1 में विज्ञापन की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया गया है। नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत प्रत्येक क्षेत्र के लिए विज्ञापन की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक ''ई–निविदा/ई माध्यम से बोली जारी करेगी। विज्ञापन की प्रत्येक श्रेणी के लिए ''ई–निविदा/ई–बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग फुट की दर निर्धारित किया जायेगा। किसी भी क्षेत्र के लिए किसी विशेष श्रेणी के विज्ञापन के लिए उच्चतम प्रति वर्ग फुट दर के साथ बोली लगाने वाले को विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी।

परन्तु यह विज्ञापन दर विभाग द्वारा निर्धारित प्रति वर्ग फुट से न्यून नहीं होगा (विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम/आधार दर का निर्धारण **अनुलग्नक–1** में किया गया है)। विभाग समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से **अनुलग्नक–1** में वर्णित विज्ञापन शुल्क के न्यूनतम/आधार दर में परिवर्तन कर सकेगा।''

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 9 के उप नियम (ड.) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(ड.) ई–बोली की प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल/ई–प्रोक (e-Proc) के माध्यम से की जाएगी।

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 9 के उप नियम (च) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(च) ''ई–निविदा/ई माध्यम से बोली कम से कम दो दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों यथा नगर निगमों के लिए तीन दैनिक राज्य समाचार पत्रों जिसमें से एक दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र, नगर परिषदों के लिए तीन दैनिक राज्य समाचार पत्रों एवं नगर पंचायत के लिए दो दैनिक राज्य समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। व्यापक पहुँच और भागीदारी के लिए ई बोली का समय न्यूनतम 21 दिन होगा।

(7) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 17 में संशोधन ।–बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 17 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

विज्ञापन और सामग्री मानदंड।–

(i) सक्षम प्राधिकारी किसी भी विज्ञापन उपकरण को संशोधित करने या हटाने की कार्रवाई कर सकता है यदि वह निम्नलिखित नकारात्मक विज्ञापनों या यातायात के खतरे का कारण बनते है–

<u>नकारात्मक विज्ञापन की सूची–</u>

(क) नग्नता

(ख) नस्लीय विज्ञापन या विज्ञापन जो जातीय सम्प्रदाय अथवा जातीय मतभेद को बढ़ावा देते हो।

(ग) मादक द्रव्य, शराब, सिगरेट या तम्बाकू को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन।

(घ) महिलाओं या बच्चे के शोषण को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन।

(ड.) यौन ओवरटोन वाले विज्ञापन।

(च) जानवरों के प्रति क्रूरता को दर्शाने वाले विज्ञापन। किसी राष्ट्र या संस्थान की प्रतिष्ठा को आंच पहुँचने वाले विज्ञापन।

(छ) किसी भी ब्रांड या व्यक्ति पर व्यंग्य या आलोचनात्मक टिप्पणी वाले विज्ञापन।

(ज) किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन।

(झ) हिंसा का महिमा मंडन करने वाला विज्ञापन।

(ञ) विनाशकारी उपकरणों और विस्फोटक वस्तुओं के चित्रण का विज्ञापन।

(ट) मनोविक्रितकारी (साइकेडेलिक), लेजर या गतिमान प्रदर्शन (मूविंग डिस्प्ले) का प्रदर्शन, हथियारों या संबंधित वस्तुओं (जैसे, बन्दूक के पुर्जों और पत्रिकाओं, गोला–बारूद आदि) का विज्ञापन।

(ठ) विज्ञापन जो कि मानहानि, व्यापार के लिए अपमानजनक, गैरकानूनी रूप से धमकी देने या गैरकानूनी रूप से परेशान करने वाले हों।

(ड) विज्ञापन जो अश्लील हों या उनमें अश्लील साहित्य हो या महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व को दर्शाते हो।

(ढ़) विज्ञापन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसी वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ा हुआ है या इसमें ऐसी वस्तुओं, का विवरण शामिल है जो की भारत में लागू किसी कानून के तहत निषिद्ध हैं, जिसमे सम्मिलित पर सीमित नहीं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, और भारतीय दंड संहिता, 1860 भी आते हैं।

(ii) कोई भी अन्य विज्ञापन जो की नगर निकायों द्वारा अक्षम माना गया हो–

(क) सभी श्रेणियों (श्रेणी 3 और कुछ श्रेणी 4 उपकरणों को छोड़कर जो पैदल यात्रियों पर केन्द्रित हो) के विज्ञापन युक्तियों की सतह पर लिखी सामग्री वाहन चालकों को आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। इससे वाहन चालक के ध्यान में कम से कम भटकाव होगा। इसके अतिरिक्त कोई साईन देखने वाले के लिए जल्दी एवं आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए जिससे की देखने वाला विज्ञापन का मतलब समझ जाये एवं उसके ध्यान के भटकाव की अवधि कम हो।

(ख) विज्ञापन युक्ति पैनल पर प्रदर्शित सामग्री या ग्राफिक ले–आउट पर मुश्किल से पठित एवं जटिल अक्षराकृत एवं सामग्रियाँ जिन्हें याद करने की जरुरत हो, नहीं लगाना चाहिए। किसी भी स्थिति में युक्ति पर जानकारियाँ ऐसे अक्षर के आकार में ना हों जिसकी वजह से चलते वाहन के चालक अथवा यात्रियों को रुकना पड़े, पढना एवं लिखना पड़े, जो की यातायात परिचालन को बाधित करेगा और वाहन चालक के ध्यान को भटकाएगा।

(ग) एक सामान्य नियम के रूप में, सभी संकेतों को एक ऐसे अनुपात में डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे की अक्षर को साइन क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक पर न लिखा गया हो।

(iii) ''अल्पसूचित विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्त्ता को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संबंधित नगर निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित नगर निकाय उप नियम (i) एवं (ii) में निषिद्ध मामलों को छोड़कर 48 घण्टे के भीतर अल्पसूचित विज्ञापन की जाँच करते हुए अनुमति प्रदान करेगा या सकारण अस्वीकृत करेगा। निर्धारित अवधि में समुचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में स्वतः अनुमति मानी जायेगी।''

(8) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 21 में संशोधन।–बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 21 की उप नियम (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(क) ''होर्डिंग्स के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली एजेंसी, होर्डिंग के कोने पर उचित आकार में (जिसे आसानी से देखा जा सकता है) विज्ञापन एजेन्सी का नाम, आवंटित अनुज्ञप्ति संख्या एवं अनुज्ञप्ति समाप्ति के तिथि, महीने एवं वर्ष को प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।''

(9) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 25 में संशोधन।–बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 25 के उप नियम (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(iii) ''यदि किसी भी एजेन्सी ने पूर्व अनुमति के बिना कोई विज्ञापन निकाला है या अनुमोदन के समय विनिर्देश के साथ मेल नहीं खाता है, तो सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।''

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 25 के उप नियम (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(iv) ''स्व–विज्ञापन के मामले में, यदि विज्ञापन एजेन्सी ने अपना स्वयं का एक विज्ञापन प्रदर्शित किया है, जो बिल्डिंग लाइन पार करता है, तो सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।''

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 25 के उप नियम (v) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(v) ''स्व–विज्ञापन के मामले में, यदि विज्ञापन एजेन्सी ने स्वयं के अलावा कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया है तो उसे संबंधित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत से अनुमति लेनी होगी और नियमावली के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि विज्ञापन एजेन्सी अनुमति के बिना अपने स्वयं के अलावा किसी अन्य विज्ञापन को स्थापित करता है, तो सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।''

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 25 के उप नियम (vi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(vi) ''यदि एजेंसी या स्वामी जुर्माना लगाने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी। ''

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 25 के उप नियम (viii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(viii) ''दूसरे उल्लंघन के मामले में, विज्ञापन एजेन्सी पर सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।''

बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 25 के उप नियम (ix) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(ix) ''तीसरे उल्लंघन के मामले में विज्ञापन एजेन्सी पर सक्षम प्राधिकार को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने के साथ विज्ञापन हटाने की शक्ति होगी।''

(10) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के नियम 30 में संशोधन।–बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 के वर्तमान नियम 30 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''**भुगतान की विधि।**– ''अनुज्ञप्ति/नवीकरण/विज्ञापन या अन्य शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।''

(11) बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 में नियम 31, ''अपील'' निम्नलिखित द्वारा जोड़ा जायेगा।–

''**31. अपील।**– नगरपालिका एवं विज्ञापन एजेंसी के बीच विवाद की स्थिति में निपटारा के लिए अपील हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् होगेः–

(i) नगर निगम के लिए संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त।

(ii) नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर जिला दण्डाधिकारी (ए0डी0एम0) से अन्यून स्तर के कोई पदाधिकारी।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

Urban Development and Housing Department

NOTIFICATION

The 10th June 2025

No. 11/UDHD/Advertisement-01/2025-1696—***Departmental Notification No.* **05/U.D./ Vividh- 81/2018-5960 dated 07.03.2024**, The ***Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023*** have been notified. In exercise of the powers conferred under **Section 419 of the Bihar Municipal Act, 2007**, the following rules of the ***Municipal Area Advertisement Rules, 2023*** are ***hereby substituted as under:***

1. **These rules shall be called the Bihar Municipal Area Advertisement (Amendment) Rules, 2025.**

2. **These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.**

3. ***Amendment to Rule 5 of Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023.*—**The existing sub-rule (i) of Rule 5 in the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023, shall be replaced as follows:

(i) License Fee for All Categories:

(a) "Every person or agency that installs, displays, pastes, or retains an advertisement on any land, building, wall, hoarding, frame, base, or structure, or on any vehicle, or displays an advertisement in a public place that is visible from a public path or public location (including advertisements displayed through cinematography) shall be required to pay a license fee based on the classification of urban local bodies into five clusters under a centralized system."

(b) "GST shall be applicable on License and renewal fees."

(c) "All processes will be conducted through an online portal/e-Proc."

The existing sub-rule (ii) of Rule 5 in the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023, shall be replaced as follows:

(ii) "Advertisement Fee for Advertising Devices of Categories 1, 2, and 3:

Every person or agency that installs, displays, affixes, or retains an advertisement on any land, building, wall, hoarding, frame, base, or structure, or on any vehicle, or displays an advertisement in a public place that is visible from a public path or public location (including advertisements displayed through cinematography) shall be required to pay an advertisement fee for each such advertisement. The advertisement fee shall be determined through an e-tendering/e-bidding process (minimum/base rates of advertisement fees are specified in Annexure-1, and categories are detailed in Schedule-1). The department may amend the minimum/base rates mentioned in Annexure-1 through a notification from time to time."

The existing sub-rule (iii) of Rule 5 in the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023, shall be replaced as follows:

(iii) ***"Advertisement Fee for Category 4 Devices.***—Owners of advertising devices, shops, commercial establishments, and institutions that install, display, fix, or maintain self-signage for their own brands, or advertise self-signage that is visible from a public road or public place, shall be required to pay an advertisement fee for each such self-signage advertisement. The advertisement fee shall be determined based on a per-square-foot rate. The municipal body shall determine the rate for self-signage advertisement fees.

However, in such cases, self-signage shall be strictly installed/displayed following the general conditions specified for Category 4 devices in these rules."

4. ***Amendment to Rule 6 of Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023.***—The existing Rule 6 in the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023, shall be replaced as follows:

"Application for License:

(i) "Before participating in the e-tender/e-bidding process, advertisers must obtain a license under a centralized system."

(ii) "The validity of the license fee shall be for three years."

(iii) "Upon the expiration of the license fee, the advertiser must renew the license annually."

(iv) "The license and renewal fees shall be charged as per the rates mentioned in Annexure-1."

Explanation:- The department may amend the license and renewal fee rates mentioned in Annexure-1 through a notification from time to time.

5. ***Amendment to Rule 7 of Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023.***—The existing Rule 7 in the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023, shall be replaced as follows:

"License Process:

(a) Before issuing a license, the department shall ensure that:

(i) "The entity obtaining the license and its directors, owners, proprietors, or partners submit an affidavit stating that they have not been disqualified by any municipal corporation, municipal council, municipal panchayat, or any other government institution (this shall be effective from the date of publication of these rules in the Gazette)."

(ii) "The entity obtaining the license and its directors, owners, proprietors, or partners do not have any outstanding dues to any municipal corporation, municipal council, or municipal panchayat (this shall be effective from the date of publication of these rules in the Gazette)."

(iii) "The entity obtaining the license does not have any pending payments related to advertisement fees (this shall be effective from the date of publication of these rules in the Gazette)."

(iv) "If an advertiser has already obtained an order or entered into an agreement for publishing advertisements under any urban local body before the enforcement of these amended rules, such order/agreement shall remain valid until December 31, 2025. After that, the advertiser must obtain a license under these rules."

(b) "After considering the points mentioned in Rule 7(a), the department shall issue a unique ID to the entity obtaining the license."

(c) "The licensing process must be completed within 30 days of receiving the application. In special circumstances, an additional 30 days may be granted."

(d) "The license fee must be paid online at the time of application."

(e) "Upon the expiration of the license fee, the advertiser must renew the license within 90 days. If renewal is not done within this period, a penalty of ₹100 per day shall be charged for the next 30 days. After this period, the department shall have the authority to cancel the license."

(f)(i) "Private land/buildings shall be granted advertisement permission (authorization) only if they regularly pay the holding tax on private land/ buildings as per the Bihar Municipal Act, 2007, and Bihar Municipal Building By-Laws."

Explanation.— The department shall issue notifications regarding structural fitness and other conditions from time to time.

(ii) "The department shall determine the minimum/base rate for advertisement fees on private land/buildings. The municipal body shall calculate the advertisement fee (authorization fee) per square foot based on the classification of roads.

However, the authorization fee shall not be lower than the rate determined by the department (minimum/base rates for authorization fees on private land/buildings are specified in Annexure-1). The department may amend the minimum/base rates mentioned in Annexure-1 through a notification from time to time."

Explanation.— Advertisers must pay an authorization fee for existing advertisements on private land/buildings one year after the enforcement of these rules.

(g) "To ensure the smooth operation of all essential works related to advertisements, a separate unit shall be established at the Urban Development and Housing Department (Headquarters) and in each municipal body."

6. ***Amendment to Rule 9 of Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023.***—The existing sub-rule (ii) of Rule 9 in the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023, shall be replaced as follows:

(ii) "Schedule-1 of these rules defines various categories of advertisements. The Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat shall issue an e-tender/e-auction for each category of advertisement in each area. The rate per square foot for each category of advertisement shall be determined through the e-tender/e-auction process for each area. The bidder offering the highest per square foot rate for a particular category of advertisement in any area shall be permitted to display the advertisement.

However, this advertisement rate shall not be lower than the per square foot rate determined by the department (the minimum/base rate of advertisement fees is specified in Annexure-1). The department may revise the minimum/base rate of advertisement fees mentioned in Annexure-1 from time to time through notification."

The existing sub-rule (v) of Rule 9 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(v) The e-auction process shall be conducted through an online portal/e-procurement system (e-Proc).

The existing sub-rule (vi) of Rule 9 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(vi) "The e-tender/e-auction shall be published in at least two national daily newspapers, three state daily newspapers (including one national daily newspaper) for Municipal Corporations, three state daily newspapers for Municipal Councils, and two state daily newspapers for Nagar Panchayats. To ensure broad outreach and participation, the e-auction period shall be a minimum of 21 days."

7. ***Amendment to Rule 17 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023.—*** The existing Rule 17 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

Advertising and Content Standards:

(i) The competent authority may take action to modify or remove any advertisement device if it causes any of the following negative advertisements or poses a traffic hazard:

List of Negative Advertisements:

(a) Nudity
(b) Racial advertisements or advertisements promoting ethnic communities or ethnic differences.
(c) Advertisements promoting intoxicants, alcohol, cigarettes, or tobacco.
(d) Advertisements promoting exploitation of women or children.
(e) Advertisements with sexual overtones.
(f) Advertisements depicting cruelty to animals or those tarnishing the reputation of any nation or institution.
(g) Advertisements containing satire or critical commentary on any brand or individual.
(h) Advertisements prohibited by any law.
(i) Advertisements glorifying violence.
(j) Advertisements depicting destructive devices and explosives.
(k) Psychotropic, laser, or moving display advertisements, advertisements of weapons or related items (such as gun parts, ammunition, etc.).
(l) Advertisements that are defamatory, trade disparaging, illegally threatening, or illegally harassing.
(m) Advertisements containing obscene content or depicting women in an indecent manner under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.
(n) Advertisements directly or indirectly related to or describing prohibited items or services under Indian laws, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, and the Indian Penal Code, 1860.

(ii) Any other advertisement deemed inappropriate by the municipal body:

(a) All advertisements should have text that is easily readable by vehicle drivers, minimizing distractions. Signage should be quick and easy to understand.
(b) Advertisement panels should not contain complex text or graphics that require memorization. The size of the letters should not be such that drivers or passengers have to stop to read them, as this could disrupt traffic and distract drivers.
(c) As a general rule, all signs should be designed so that letters do not cover more than 20% of the sign area.

(iii) "For short-term advertisements, the advertiser must obtain permission from the relevant municipal body through the online portal. Except for cases prohibited under sub-rules (p) and (pp), the municipal body shall grant or reject permission within 48 hours, with reasons for rejection. If no action is taken within the prescribed time, permission shall be deemed granted."

8. ***Amendment to Rule 21 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023.—*** The existing sub-rule (a) of Rule 21 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(a) "Agencies displaying advertisements through hoardings must display the agency's name, allocated license number, and license expiry date, month, and year on the corner of the hoarding in an appropriate size that is easily visible."

9. ***Amendment to Rule 25 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023.—*** The existing sub-rule (iii) of Rule 25 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(iii) "If any agency has issued an advertisement without prior approval or does not comply with the approved specifications, the competent authority shall have the power to impose a fine/penalty and remove the advertisement under the relevant sections of the Bihar Municipal Act, 2007."

The existing sub-rule (iv) of Rule 25 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(iv) "In the case of self-advertisement, if an advertising agency displays its own advertisement that crosses the building line, the competent authority shall have the power to impose a fine/penalty and remove the advertisement under the relevant sections of the Bihar Municipal Act, 2007."

The existing sub-rule (v) of Rule 25 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(v) "In the case of self-advertisement, if an advertising agency displays an advertisement other than its own, it must obtain permission from the respective Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat and pay the prescribed fee. If the agency places an advertisement other than its own without permission, the competent authority shall have the power to impose a fine/penalty and remove the advertisement under the relevant sections of the Bihar Municipal Act, 2007."

The existing sub-rule (vi) of Rule 25 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(vi) "If the agency or owner fails to pay the penalty within three working days from the date of imposition, the competent authority shall have the power to impose a fine/penalty and remove the advertisement under the relevant sections of the Bihar Municipal Act, 2007."

The existing sub-rule (viii) of Rule 25 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(viii) "In the case of second violation, the competent authority shall have the power to impose a fine/penalty on the advertising agency under the relevant provisions of the Bihar Municipal Act, 2007, along with the authority to remove the advertisement."

The existing sub-rule (ix) of Rule 25 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

(xi) "In the case of a third violation, the competent authority shall have the power to impose a fine/penalty on the advertising agency under the relevant provisions of the Bihar Municipal Act, 2007, along with the authority to remove the advertisement."

10. ***Amendment to Rule 30 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023.—*** The existing Rule 30 of the Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall be replaced as follows:

"Method of Payment: The payment of licensing/renewal/ advertisement or other fees shall be made through the online portal."

11. ***The Bihar Municipal Area Advertisement Rules, 2023 shall include Rule 31 under the heading 'Appeal'.***

"31. ***Appeal*—**In case of disputes between the municipality and the advertising agency, the competent authority for appeal shall be as follows:

(i) For Municipal Corporations, the concerned Divisional Commissioner. (ii) For Municipal Councils/Nagar Panchayats, the concerned District Magistrate or an officer not below the rank of Additional District Magistrate (ADM) authorized by them."

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible,
Secretary to the Government.

Annexure 1

Least/Base Rate imposed on Advertisement

SL. No.	Categories of ULB's	HOARDINGS (Per Square Foot Per Annum)
1.	Patna Municipal Corporation (PMC)	Rs. 10
2.	All ULB's (Except PMC)	Rs. 08
3.	All Municipal Council	Rs. 04
4.	All Municipal Panchayat	Rs. 02

Annexure 1(A)

Advertisement License & Renewal Fee

SL. No.	CLUSTER	LICENCE FEE	RENEWAL FEE
1.	All ULB's	200000	75000
2.	Patna Municipal Corporation (PMC)	150000	60000
3.	All ULB's (Except PMC)	100000	50000
4.	All Municipal Council & Panchayat	75000	35000
5.	All Municipal Panchayat	50000	25000

Annexure 1(B)

Least/Base Rate of Permission fee imposed on Private Building/Land

SL. No.	Categories of ULB's	Private Building/Land (Per Square Foot Per Annum)
1.	Patna Municipal Corporation (PMC)	Rs. 05
2.	All ULB's (Except PMC)	Rs. 04
3.	All Municipal Council	Rs. 02
4.	All Municipal Panchayat	Rs. 01

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)1109-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in